न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

प्रार्थी :–

श्रवणीदेवी पत्नी माथूराम जाट
निवासी सांचोर तह. परबतसर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. हनुमानराम पुत्र लादूराम जाट
2. बचनाराम पुत्र लादूराम जाट
3. रतनाराम पुत्र लादूराम जाट
4. मदन पुत्र लादूराम जाट
5. किसनाराम पुत्र लादूराम जाट
6. हीराराम पुत्र लादूराम जाट
7. रामदेव पुत्र नानूराम जाट
8. हरदेव पुत्र नानूराम जाट
   निवासी सांचोर तह. परबतसर
9. तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा।
उपस्थित :– श्री अरूणकुमार माथूर वकील प्रार्थी
श्री श्यामनिरंजन बोहरा वकील अप्रार्थी 1 से 6 व 8

मुकदमा नम्बर :– 57/2017

निर्णय दिनांक :– 27.11.2019

निर्णय

1. प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम सांचोर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि जिसके गत खसरा नम्बर 45/2, 45/4, 45/5 वर्तमान खसरा नम्बर 423/80, 427/80 व 80 कुल रकबा 3.40 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी 1 से 4 व अप्रार्थी 7 व 8 की खातेदारी में दर्ज हैं विवादित भूमि में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा हैं अप्रार्थी 1 से 4 को 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी 7 व 8 का 1/3 हिस्सा हैं। मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा हैं तथा अलग अलग काश्त करते हैं लेकिन खसरा नम्बर 423/80, 427/80 जिसके पुराने खसरा नम्बर 45/4 व 45/5 कुआ व कुऐ की सारण है जो शामलाती खातेदारी में है। पक्षकारो की आपसी सहमति से किये गये बंटवारे में अप्रार्थी 9 भूमिधारी की सहमति नहीं होने से सम्पूर्ण भूमि सहकाश्त में दर्ज चली आ रही हैं राजस्व रिकार्ड में बंटवारे का उल्लेख नहीं हैं न ही उक्त बंटवारा विधि अनुसार नाप चौक कर किया गया हैं पूर्वी तरफ का हिस्सा प्रार्थीनी का व पश्चिमी तरफ अप्रार्थी 7 व 8 हिस्सा एवं बीच में अप्रार्थी 1 से 4 का हिस्सा आया हुआ हैं इसी अनुसार प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण मौके पर काश्त करते हैं व बाडे बना रखे है। उक्त आराजीयत प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण 4 व 7 एवं 8 की खरीद सुदा भूमि हैं पैतृक कृषि भूमि नहीं है न ही इस भूमि में अप्रार्थी 5 व 6 का हक हिस्सा व अधिकार हैं जिसके उपरान्त भी अप्रार्थी 5 व 6 विवादित भूमि में अतिक्रमण करने पर आमादा हैं खसरा नम्बर 423/80, 427/80 अविभाजित हैं उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 4 व 7, 8 ने अपनी लागत लगाकर कुआ बनाया हैं तथा कुआ 50 फुट गहरा था पक्षकारान उक्त कुये से सिंचाई करते थे तथा वर्तमान में उक्त कुऐ में पानी नहीं हैं परन्तु कुआ गहरा कराने पर उक्त कुऐ में पानी होने की प्रबल सम्भावना है इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण ने संयुक्त कुऐ को मिट्टी से भर दिया तथा उक्त कुऐ को समतल कर खसरा नम्बर 423/80 में अवैध रूप से निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया हैं प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण कुऐ को विकसित करने में करीब 2,50,000 का व्यय किया जिस पर अप्रार्थीगण की हरकत से

Scanned by CamScanner

प्रार्थीनी को 1/3 हिस्से की राशि की हानि हुई है उक्त हर्जाने को प्रार्थीनी अप्रार्थीगण से प्राप्त करने की अधिकारी हैं उक्त अविभाजिल खसरे में किसी प्रकार निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण लाठी के बल पर भुज बल बाहुबल के आधार अविभाजित कृषि भूमि में निर्माण कर लिया हैं वर्तमान में प्रार्थीनी का हिस्सा निश्चित किये बगैर ही रात दिन अत्यधिक मजदूर व कारीगर लगाकर निर्माण कर रहे हैं प्रार्थीनी के मना करने पर भी मानने को तैयार नहीं हैं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी के हितो को चुनौती दे दी हैं ऐसी परिस्थिति में संयुक्त रूप से अथवा सामूहिक रूप से आपसी सहमति से किये गये बंटवारे के अनुसार काश्त करना सम्भव नहीं हैं इस कारण प्रार्थीनी अपने 1/3 हिस्से का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्स करवाकर अलग खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। प्रार्थीनी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम सांचोर के खसरा नम्बर 423/80, 427/80 व 80 कुल रकबा 3.40 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक निर्माण नहीं करने व प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 12.09.2017 को अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर प्राप्त होने के बाद अप्रार्थी 1 से 6 व 8 की ओर से वकील श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश करने हेतु समय चाहने पर समय दिया गया। अप्रार्थी 7 व 9 के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद बार – बार अवाल लगाऐ जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने दिनांक 27.11.2019 को जबाब पेश करने से इन्कार किया। अप्रार्थी 1 से 6 व 8 का जवाब बन्द किया गया।
4. प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी सम्वत 2065 पेश की है।
5. अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, विधि के सुसंगत प्रावधानों, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

(अ) प्रथम दृष्टया मामल :–

प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सांचोर की जमाबन्दी सम्वत 2065 की प्रति पेश की हैं जिसमें दर्ज खसरा नम्बर 80, 423/80, 426/80 कुल रकबा 3.40 हैक्टयर भूमि में श्रवणीदेवी जोजे माधूराम 1/3, हनुमान, बचना, रतना, मदन पि. लादू 1/3, रामदेव, हरदेव पि. नानू 1/3 कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया हैं कि उक्त भूमि में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा खरीद सुदा हैं, पैतृक सम्पति नहीं हैं तथा जमाबन्दी में दर्ज सह खातेदारो द्वारा मौके पर भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा हैं, मौके पर खसरा नम्बर 423/80 व 426/80 मौके पर कुआ व कुए की सारण हैं जो अविभाजित हैं। खसरा नम्बर 80 में पूर्वी तरफ 1/3 हिस्से पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र मे बताया हैं कि खसरा नम्बर 423/80 में संयुक्त रूप से पैसा लगाकर कुए का निर्माण किया हैं जिसमें वर्तमान में पानी नहीं हैं लेकिन कुआ गहरा करवाया जाता हैं तो पानी होने की प्रबल संभावना हैं लेकिन अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 423/80 कुए को समतल कर अवैध रूप से निर्माण करने पर

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

आमादा है, प्रार्थीनी को कुआ खुदवाया उसमें लगे व्यय में 1/3 हिस्से की हानि हुई है। जमाबन्दी के अनुसार विवादित उक्त संम्पूर्ण आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं अप्रार्थी 5 व 6 इस विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं हैं, जिनके द्वारा भूमि पर अतिक्रमण करना बताया हैं। वकील अप्रार्थी ने दौरान बहस बताया हैं कि उक्त भूमि में अप्रार्थीगण भी सह खातेदार हैं वर्णित भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा हैं प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा निहित हैं। जिससे प्रार्थीनी के साथ साथ अप्रार्थीगण को भी उतना ही अधिकार हैं जितना प्रार्थीनी को है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के हक में नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार निष्कर्श यह हैं कि उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं हो रखा हैं तथा प्रार्थीनी उक्त भूमि में 1/3 हिस्से की संयुक्त रूप से खातेदार हैं तथा अप्रार्थीगण भी उक्त भूमि में सह खातेदार काश्तकार हैं। जिसमें सभी का बराबर हक हिस्सा निहित हैं ऐसे में केवल प्रार्थीनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं होता है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :–

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार उक्त विवादित आराजीयत में प्रार्थीनी 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं, तथा खातेदारी प्रार्थी 1 से 4 व 7 , 8 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी 1 से 4 व 7, 8 संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीनी के कथना अनुसार मौके पर भूमि का विभाजन हो रखा हैं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना हैं खसरा नम्बर 423/80 कुआ व 427/80 कुए की सारण होना बताया हैं जिसको समतन कर अप्रार्थीगण निर्माण कर रहे हैं वकील प्रार्थी ने दौराने बहस बताया हैं। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस बताया हैं कि उक्त विवादित भूमि में हम अप्रार्थी 1 से 4 व 7, 8 सह खातेदार हैं तथा हमार भी मौके पर कब्जा काश्त हैं अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा हैं। केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं संयुक्त खातेदारी हैं संयुक्त कब्जा हैं जिससे सुविधा का सन्तुलन केवल प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी की काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं की हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार निष्कर्श इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजीय का विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा हैं संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं मौके पर भूमि का बंटवारा हो रखा हैं इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रार्थीनी पेश नहीं किया है। भूमि का मौके पर बंटवारा हो रखा हैं या खसरा नम्बर 423/80 कुआ व 427/80 कुए की सारण हैं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार होना हैं। जिससे सुविधा का संतुलन सभी रिकार्डेड खातेदारो के पक्ष में है।

27/11/19

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

(स) अपूर्णीय क्षति :–

पूर्व विवेचन के अनुसार उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीनी 1/3 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं, तथा विवादित आराजीयत का विधिवत रूप से बंटवारा नही हो रखा हैं। विवादित भूमि में खसरा नम्बर 423/80 कुआ व 427/80 कुए की सारण होना बताया हैं। वकील अप्रार्थी ने कुए को अप्रार्थीगण द्वारा समलत कर निर्माण` नहीं करना दौराने बहस बताया हैं। विवादित भूमि संयुक्त खातेदार हक हिस्से में दर्ज हैं। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी के कब्जे काश्त व खातेदारी में किसी प्रकार की दखल नहीं करना बताया हैं, न ही प्रार्थीनी को जबरन बेदखल किया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार इस बिन्दु का निष्कर्श इस प्रकार से हैं कि विवादित भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थी 1 से 4 व 7, 8 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा हैं। रिकार्ड के अनुसार प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा हैं प्रार्थीनी ने मौके पर भूमि का बंटवारा होना बताया हैं। लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जमाबन्दी के अनुसार भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने स्वीकार किया हैं कि मौके पर किसी प्रकार का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दु केवल प्रार्थीनी के हक में सिद्ध नहीं होता है।

अतः विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं तथा प्रार्थीनी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ बंटवारा के वाद पेश कर रखा हैं जिसका निर्णय होना शेष हैं, वाद के निर्णय तक विवादित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण किसी भी खातेदार द्वारा किया जाता हैं या भूमि खुर्द– बुर्द की जाती हैं तो दोनों पक्षों में विवाद व मुकदमें बाजी बढ़ने की संभावना हैं, पक्षकारो में इस विवादित भूमि को लेकर ओर कोई विवाद नहीं हैं। जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम सांचोर के खसरा नम्बर 423/80, 427/80, 80 कुल रकबा 3.28 हैक्टयर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे। मौके की यथस्थिति बनायी रखी जावे। यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner